न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 128/24 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2024/488

1. श्री नाथु पिता देवा यादव निवासी चमारिया खेडा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता वरदीचन्द यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
2. श्री दिलीप पिता किशनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
3. श्री बाबुलाल पिता पिथा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
4. श्री मन्नालाल पिता पिथा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
5. श्री माणकलाल पिता पिथा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
6. श्री रमेश पिता किशनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
7. श्री रमेशचन्द्र पिता वरदीचन्द यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
8. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी वरदीचन्द यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
9. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी किशनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
10. श्री शंकरलाल पिता वरदीचन्द यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
11. श्री श्यामलाल पिता पिथा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
12. श्री शांतिलाल पिता किशनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
13. सुशीला पुत्री वरदीचन्द यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
14. सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)
15. श्री तेजराम पिता नारायण डांगी निवासी म.न. 309 पंचायत भवन के सामने शोभागपुरा उदयपुर।
16. कौशल्या पुत्री खेमराज यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
17. गीता पुत्री खेमराज यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
18. श्री देवा पिता मोडा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
19. श्री बंशीलाल पिता लटुर यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
20. श्री बाबुलाल पिता तेजा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
21. श्री भागचन्द पिता तेजा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
22. श्री माणकलाल पिता तेजा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
23. श्री मानालाल पिता तेजा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
24. श्री रतनलाल पिता लटुर यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
25. श्री राजकुमार पिता खेमराज यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
26. श्री लटूरिया पिता डालचन्द यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
27. श्रीमती लीलाबाई पत्नी खेमराज यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
28. श्री श्यामलाल पिता तेजा यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
29. श्री संजय पिता खेमराज यादव निवासी चमारिया तह. मावली।
30. कंचनबाई पिता गणेशलाल यादव निवासी चमारिया तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:44:27 IST
Reason: SelfAttested

31. नाबालिग दिव्या पिता मोहनलाल संरक्षक माता सोनिकाबाई पत्नी मोहनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
32. नाबालिग मोहित पिता मोहनलाल संरक्षक माता सोनिकाबाई पत्नी मोहनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
33. नाबालिग वैदिका पिता मोहनलाल संरक्षक माता सोनिकाबाई पत्नी मोहनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
34. श्री सुभाषचन्द्र पिता हेमराज यादव निवासी जेवाणा तह. मावली।
35. श्रीमती सोनिका बाई पत्नी मोहनलाल यादव निवासी चमारियाखेडा तह. मावली।
36. श्रीमती दीप्तीबाला पत्नी राजकुमार यादव निवासी 107 बी ब्लॉक शुभ लाभ काम्पलेक्स न्यू केशवनगर रूपसागर रोड उदयपुर।
37. श्री राजकुमार पिता रामलाल यादव निवासी 107 बी ब्लॉक शुभ लाभ काम्पलेक्स न्यू केशवनगर रूपसागर रोड उदयपुर।
38. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 18.12.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा चमारिया खेडा पटवार हल्का कुंचोली तह. मावली की आराजी नम्बर 202, 504/203 किता 2 कुल रकबा 0.7689 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यहकि मुझ प्रार्थी की आराजीयात के पड़ौस निम्न प्रकार है :—

पूर्व — 1— विपक्षी संख्या 1 से 13 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 201 की कृषि भूमि।

2— विपक्षी संख्या 14 की खातेदारी की आराजी नम्बर 246 की कृषि भूमि।

पश्चिम — 1— विपक्षी संख्या 15 की खातेदारी की आराजी नमबर 197, 205, 206, 212, 213 की कृषि भूमि।

2— विपक्षी संख्या 16 से 19 तथा खातेदार किशनलाल पिता तेजा व पिथा पिता तेजा की सहखातेदारी की आराजी चाह नम्बर 204 की भूमि। खातेदार किशनलाल पिता [illegible] की मृत्यु हो गई है जिसके वारिस विपक्षी संख्या 2, 6, 9, 12 हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:44:27 IST
Reason: SelfAttested

उत्तर – 1– विपक्षी संख्या 30 से 35 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 505/203 की कृषि भूमि।

दक्षिण – 1– विपक्षी संख्या 36, 37 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 214 की कृषि भूमि।

खाते की नकल जमाबन्दीया एवं राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। सांकेतिक नजरी नक्शा में मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओ को लाल रंग से चिन्हित किया गया हैं।

3. यहकि मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो दिशाओ की सीमा पर वर्तमान में कांटो/थौहर की बाड ही की हुई है जिससे मेरी जमीन के आसपास घुमने वाले आवारा मवेशी हमारी जमीन में घुस जाते है और फसलो को नष्ट कर नुकसान पहुंचाते है एवं पडौसी खातेदारान/वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 37 से भी सीमा को लेकर हर समय विवाद होने की सम्भावनाएं बनी रहती है। इसलिए मैं प्रार्थी अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहता हूं। इसलिए मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मेरी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो।
4. यह कि मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी होने से मैं प्रार्थी अपनी जमीन की सही सीमा पर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करा सकुंगा तथा बाउण्ड्रीवाल हो जाने से मेरी जमीन सुरक्षित रहेगी और उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवर्ष बोई जानी वाली फसले भी आवारा मवेशियों से महफूज रहेगी और आवारा मवेशी मेरी जमीन में घुसकर फसलों को बर्बाद नहीं कर सकेंगे और पडौसी खातेदारान/वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 37 के साथ भी सीमा को लेकर कोई व्यर्थ का विवाद नहीं होगा। इसलिए हमारी उक्त कृषि भूमियों की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया है। इसलिए हम प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।
5. यहकि मुझ प्रार्थी ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की विधिवत रूप से सीमा जानकारी कराये जाने हेतु दिनांक 03.07.2024 को श्रीमान् तहसीलदार मावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया। तहसीलदार मावली के आदेशानुसार पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर सीमा जानकारी की कार्यवाही प्रा[illegible] की किन्तु मौके पर विवाद की स्थिति होने से पटवारीजी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान न[illegible] कराया जा सका। पटवारीजी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:44:27 IST
Reason: SelfAttested

सीमाज्ञान की कार्यवाही में उक्त आशय की रिपोर्ट करते हुए मुझ प्रार्थी को पत्थरगढी कराने हेतु हिदायत दी गई। इसलिए मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की उत्तरी पश्चिमी दिशा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया है जिस हेतु मुझ प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 03.07.2024 को उत्पन्न हुआ जब मैने पडौसी सहखातेदारों एवं उनके परिवारजनों विपक्षी संख्या 1 से 37 को मेरी कृषि भूमियों की सीमाओं की पत्थरगढी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 37 इसके लिए तैयार नहीं हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमियों की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर स्थायी सीमांकन कराया जावे तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 37 अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावे तो मेरी कृषि भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 37 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 6, 11, 14 से 17, 20, 22 से 25, 28 से 37 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 1, 7 से 10, 12 से 13, 18, 19, 21, 26, 27 के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त विपक्षीगण में से कुछ विपक्षीगण बाहर रहते है तथा कुछ विपक्षीगण फौत हो चुके हैं जिसके कारण इन विपक्षीगण से कोई सीमा विवाद नहीं हैं केवल मात्र जमाबन्दी में इनका नाम होने से इनको पक्षकार बनाया गया था। इसलिए प्रार्थी इनके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं। इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमाई जाकर प्रार्थी की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करने का श्रम करावे।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं ही विपक्षी संख्या 1, 7 से 10, 12 से 13, 18, 19, 21, 26, 27 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। मौजा चमारियाखेडा पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 254 में दर्ज आराजी नम्बर 202, 504/203

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2025.01.31 12:44:27 IST
Reason: SelfAttested

किता 2 कुल रकबा 0.7689 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है परन्तु साथ ही प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि विपक्षीगण का अवैध निर्माण एवं कब्जा पाया जावे तो मेरी कृषि भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 37 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किया जावें। चूंकि उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया गया है जिसमें केवल वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी करवाई जा सकती हैं। उक्त प्रकरण के माध्यम से प्रार्थी को कब्जा नहीं दिलवाया जा सकता हैं। कब्जे सम्बन्धी अनुतोष हेतु प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

10. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा चमारियाखेडा पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 254 पर दर्ज आराजी नम्बर 202, 504/203 किता 2 कुल रकबा 0.7689 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
11. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
12. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:44:27 IST
Reason: SelfAttested